

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक: 22 जून, 2017

संख्या 26/एस.टी.-2 – हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के भुगतान, विवरणियों को प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करते हैं ।

व्याख्या:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए www.gst.gov.in से अभिप्राय है, माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को लागू होगी ।

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 22nd June, 2017

No: 26/ST-2 - In exercise of the powers conferred by section 146 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purposes of this notification, “**www.gst.gov.in**” means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act 2013 (Central Act 18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

SANJEEV KAUSHAL
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department